## राजस्व विभाग

### युद्ध जागीर

दिनांक 14 अक्तूबर, 1977

**क्रमांक 1649-ज(II)-77/26061:**—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए) 1(ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, श्री अमर सिंह, पुत्र श्री चुना सिंह, गांव भोड़ा कलां, तहसील व जिला गुड़गांवा को रबी, 1973 से 150 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

**क्रमांक 1674-ज(II)-77/26065.**—श्री करतार सिंह, पुत्र श्री रिछपाल सिंह, मकान नं० 45-46, प्रेमनगर, करनाल, तहसील व जिला करनाल की दिनांक 21 दिसम्बर, 1976 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए) (1) तथा 3(1) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहर्ष आदेश देते हैं कि श्री करतार सिंह की मुब्लिक 150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 12336-जे. एन.-III-65/10989, दिनांक 16 दिसम्बर, 1965 तथा अधिसूचना क्रमांक 45041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970, द्वारा मन्जूर की गई थी अब उसकी विधवा श्रीमती दलीप कौर के नाम खरीफ़, 1977 से 150 रु० वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील की जाती है।

**क्रमांक 1693-ज(II)-77/26069.**—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1) तथा 3(1) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्रीमती चन्द्रावती, विधवा श्री नरंजन, गांव सालवन, तहसील व जिला, करनाल को रबी, 1975 से 200 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

दिनांक 20 अक्तूबर, 1977

**क्रमांक 1712-ज(II)-77/26679.**—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3 (1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल निम्नलिखित व्यक्तियों को वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर उनके सामने दी गई फ़सल तथा राशि एवं सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं:—

| क्रमांक | ज़िला | जागीर पाने वाले का नाम | गांव व पता | तहसील | फ़सल/वर्ष जब से जागीर दी गई | वार्षिक राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | रुपए |
| 1 | करनाल | श्री तारा चन्द, पुत्र श्री फूल सिंह | जौरासी | पानीपत | रबी, 1974 से | 150 |
| 2 | ,, | श्री बाल मुकन्द, पुत्र श्री दिवान चन्द | काबड़ी | ,, | खरीफ, 1975 से | 150 |

**क्रमांक 1750-ज(II)-77/26684.**—श्री अतर सिंह, पुत्र श्री माधो सिंह, गांव भोंडसी, तहसील व जिला गुड़गांव I, की दिनांक 17 मार्च, 1977 की हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं

2(ए) (1ए) तथा 3 (1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहर्ष आदेश देते हैं कि श्री अतर सिंह की मुब्लिग 150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 720-ज(II)-74/19808, दिनांक 15 जून, 1974 द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती रुपवती के नाम खरीफ़, 1977 से 150 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील की जाती है।

क्रमांक **1683-ज(I)-77/26713**.—श्री नानक चन्द, पुत्र श्री टोहर सिंह, गांव रानिला बास, तहसील दादरी, जिला भिवानी, की दिनांक 2 मार्च, 1975 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2 (ए) (1ए) तथा 3 (1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहर्ष आदेश देते हैं कि श्री नानक च द की मुब्लिग 150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 4200-ज(I)-72/44391, दिनांक 8 दिसम्बर, 1972 द्वारा मन्जूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती निम्बो देवी के नाम खरीफ़, 1975 से 150 रुपये वार्षिक की दर सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील की जाती है।

यशवन्त कुमार जैन,

विशेष कार्य अधिकारी, हरियाणा सरकार,
राजस्व विभाग।

## TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT

The 20th October, 1977

No. **7714-PW(IV)-5-77/32503**.—The Governor of Haryana is pleased to constitute a Committee for probing into the affairs of Regional Engineering College, Kurukshetra, with reference to certain complaints received againt its management. The composition of the Committee will be as under :—

(1) Shri P. P. Caprihan, I. A. S.,
Financial Commissioner and Secretary to Government,
Haryana, Irrigation and Power Departments.

(2) Shri L. M. Jain, I. A. S.,
Joint Secretary to Government, Haryana,
Finance Department.

(3) Shri R. D. Sharma, Pro Vice-Chancellor,
Kurukshetra University, Kurukshetra.

2. The Committee will meet at Kurukshetra or any other place to be decided by Shri P. P. Caprihan and will submit its report within a month.

3. The members will draw T.A./D.A. from their respective Departments/University.

SUKHDEV PRASAD, Secy.

## IRRIGATION AND POWER DEPARTMENT

The 27th October, 1977

No. **9817-IPWII-77/33364**.—In exercise of powers conferred by rule 49 of Haryana Canal and Drainage Rules, 1976 and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Haryana hereby specifies that the charges for the use of water supplied from the State Tubewells shall be at the rate of forty-eight paise per unit of the electricity consumed.

P. P. CAPRIHAN,

Financial Commissioner and Secy.